संख्या-06/2025/1535/35-4-2024/35-4099/8/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासान।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 22 जनवरी, 2025

विषय: रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद रायबरेली के विधानसभा क्षेत्र-राजकीय आई०टी०आई०,सरेनी, विकास खण्ड-डलमऊ के ग्राम घुरवारा, रायबरेली 'का भवन निर्माण कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश सं0-38/2020/509/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1306.33 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 522 .53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-125/2021/1241/35-4-2021. दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 130.63 लाख शासनादेश सं0-467/2021/2332/35-4- 2021, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 326.58 लाख एवं शासनादेश संख्या-409/2022/1462/35-4-2022/001-35-4099/482/2021, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 261.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0 1241.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्र सं0-787/त्व०आ०वि0 यो0 /आई0टी0आई0/2023-24. दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 एवं पत्र सं0-420/त्व०आ०/2024-25. दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए पांचवी किश्त के रूप में रू. 64.29 लाख (**रूपये चौंसठ लाख उनतीस हजार मात्र**) को निम्नलिखति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त	अवमुक्त धनराशि
राजकीय आई०टी०आई०, विधान	1306.33	1.04	1305.29	1241.00	64.29

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सभा क्षेत्र-सरेनी, विकास खण्ड-डलमऊ के ग्राम घुरवारा, रायबरेली 'का भवन निर्माण कार्य ।					

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020, दिनांक 13 अगस्त, 2021 एवं दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 व दिनांक 18 नवम्बर, 2022 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैकडाकघर में नहीं रखी। जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 64.29 लाख (**रूपये चौंसठ लाख उनतीस हजार मात्र**) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या0-40 लेखाशीर्ष 4250002030302 राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण के चालू कार्य-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2025/1535(1)/35-4-2024/35-4099/8/2021तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली।
14- सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली।
15- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।